संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विववरण निम्न हैः–

1. राज्य योजना बोर्ड
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय

1. राज्य योजना बोर्डः

सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 13 फरवरी, 2018 को किया गया ।

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचनाः

(i) **अध्यक्ष–माननीय मुख्यमन्त्री**

(ii) **उपाध्यक्ष– राज्य सरकार द्वारा नियुक्त**

(iii) **गैर–सरकारी सदस्य**

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) – अलग से अधिसूचित।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति,जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक–एक प्रतिनिधि – अलग से अधिसूचित।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक – अलग से अधिसूचित।
5. सेवानिवृत मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी–अलग से अधिसूचित।

(iv) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप–कुलपति

(v) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज।
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला।

(vi) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. **नियुक्ति की शर्तें:** सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाती हैं।

III. **योजना बोर्ड मुख्यालयः** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती है।

IV. योजना बोर्ड के कार्यः

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन–शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम् उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक योजना को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्य्मान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव।
- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विशलेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना।

- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विशलेषण करना।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना।

2. मुख्यालयः

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :–

1.	सम्बन्धित मंत्री	माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2.	प्रशासनिक सचिव	अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3.	विभागाध्यक्ष	सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं। योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्पयूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना, 20–सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं। ये सभी प्रभाग संयुक्त निदेशक/उप–निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं। संयुक्त निदेशक/उप–निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3. जिला कार्यालयः

प्रदेश के सभी 10 गैर–जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुकत/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है। जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :–

1. जिला योजना अधिकारी : एक पद
2. साख योजना अधिकारी : एक पद
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी : एक पद
4. सांख्यिकीय सहायक : एक पद
5. वरिष्ठ सहायक : एक पद

(जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में प्रति जिला दो पद)

6. आशुटंकक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक(आई0टी0): एक पद
7. लिपिक : एक पद
8. चपड़ासी : एक पद

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20–सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी भी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।